


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 9-1/2018/सत्रह/मेडि-1 :-दिनांक 16.7.2007 की स्थिति में कार्यरत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीधी भर्ती) से नियुक्त अधिकारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 01.05.2018 को आयोजित छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्न अधिकारियों को कालम क्रमांक 6 में अंकित द्वितीय समयमान वेतनमान उनके नाम के सामने वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स. क्र.	वरीय ता क्र. 01.04.1995	अधिकारी का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक		द्वितीय वेतनमान (14300-375-18300) दिये जाने का दिनांक	समयमान रूपये
			प्रथम दिनांक (चिकित्सा अधिकारी के पद पर)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारारी के पद पर लोक सेवा अयोग से सीधी भर्ती		
1	2	3	4	5	6	
1.	11	डॉ. के.एल. साहू	01.04.1977	15.07.1991	16.07.2007	
2.	12	डॉ. के.के. ठरसू	05.07.1980	15.07.1991	16.07.2007	
3.	13	डॉ. पी.एन.एस. चौहान	16.02.1972	15.07.1991	16.07.2007	
4.	14	डॉ. एस.के. श्रीवास्तव	28.01.1977	15.07.1991	16.07.2007	
5.	20	डॉ. बी.एन. चौहान	27.03.1979	15.07.1991	16.07.2007	



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 29/06/2018

पृ.क्रमांक एफ 9-1/2018/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनकी टीप जावक क्रमांक 2118/1741/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 13.2.2017 के संदर्भ में।
2. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
8. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. संबंधित अधिकारी म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आदेश नस्ती।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 9-1/2017/सत्रह/मेडि-1 :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 14-01/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अधीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करने हेतु दिनांक 07.10.2017 को आयोजित छानबीन समिति की बैठक में परिभ्रमण में रखे गये अधिकारियों में से निम्न अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने दर्शित आगामी वेतनमान वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स. क्र.	वरीयता क्र. 01.04.2008	अधिकारी का नाम	आगामी स्वीकृत वर्तमान	आगामी वेतनमान स्वीकृत किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	83	डॉ. ए.के. जैन	37400-67000+8700	26.08.2008
2	146	डॉ. अतुल शुक्ला	37400-67000+8700	26.08.2008
3	172	डॉ. ऋषभ कुमार गोयल	37400-67000+8700	31.05.2012
4	209	डॉ. ए.के. सक्सेना	37400-67000+8700	08.06.2012
5	251	डॉ. सुधा सरिता कौशल	37400-67000+8700	08.06.2012
6	252	डॉ. एस.के. जैन	37400-67000+8700	08.06.2012
7	263	डॉ. पी.एल. गुप्ता	37400-67000+8700	17.06.2012
8	265	डॉ. श्रीमती प्रमिला नाहर	37400-67000+8700	26.08.2008
9	282	डॉ. ए.के. मुद्गल	37400-67000+8700	04.06.2012
10	287	डॉ. श्रीमती रीता वशिष्ठ	15600-39100+7600	26.08.2008
11	291	डॉ. हरिप्रसाद अग्रवाल	37400-67000+8700	04.06.2012
12	331	डॉ. एम.एल. भारती	37400-67000+8700	29.07.2009
13	350	डॉ. पी.के. सोनकर	15600-39100+7600	29.07.2009
14	399	डॉ. सनेराम परस्ते	15600-39100+7600	18.09.2009

- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल विभाग को तथ्यात्मक जानकारी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से यदि कोई विशेषज्ञ वेतनमान पात्रता तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/दिवंगत हो गये हों अथवा त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो तो ऐसे विशेषज्ञों को उक्त स्वीकृत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान के प्रदाय करने के दौरान गणना में हुई त्रुटि की स्थिति पाई जाने पर समायोजन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


//2//

पृ.क्रमांक एफ 9-1/2017/सत्रह/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 22/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
 6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
 8. संचालक, गैस राहत एवं पुर्नवास, भोपाल, मध्य प्रदेश।
 9. संचालक, कमला नेहरू, चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल, मध्य प्रदेश।
 10. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
 13. समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 14. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 15. समस्त प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
 16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
 17. संबंधित अधिकारी म.प्र.।
 18. आदेश नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

य. ड. (ल)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय


—: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /06/2018

क्रमांक एफ 9-1/2017/सत्रह/मेडि-1 :- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 14-01/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अधीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करने हेतु दिनांक 07.10.2017 को आयोजित छानबीन समिति की बैठक में परिभ्रमण में रखे गये अधिकारियों में से निम्न अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने दर्शित आगामी वेतनमान वर्णित तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

स. क्र.	वरीयता क्र. 01.04.2008	अधिकारी का नाम	आगामी स्वीकृत वर्तमान	आगामी वेतनमान स्वीकृत किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5
1	120	डॉ. अजीत कुमार दुबे	37400-67000+8700	27-08-2014
2	248	डॉ. श्रीमती के. कटर	37400-67000+8700	27-08-2014
3	322	डॉ. श्रीमती संध्या पंचोली	37400-67000+8700	27-08-2014
4	370	डॉ. डी. सोलंकी	37400-67000+8700	27-08-2014

- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से किसी विशेषज्ञ के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो उक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल विभाग को तथ्यात्मक जानकारी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- उपर्युक्त विशेषज्ञों में से यदि कोई विशेषज्ञ वेतनमान पात्रता तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/दिवंगत हो गये हों अथवा त्याग पत्र स्वीकृत हो गया हो तो ऐसे विशेषज्ञों को उक्त स्वीकृत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
- उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान के प्रदाय करने के दौरान गणना में हुई त्रुटि की स्थिति पाई जाने पर समायोजन किया जा सकेगा।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 22/06/2018

पृ.क्रमांक एफ 9-1/2017/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
- प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।

//2//

6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
 8. संचालक, गैस राहत एवं पुर्नवास, भोपाल, मध्य प्रदेश।
 9. संचालक, कमला नेहरू, चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल, मध्य प्रदेश।
 10. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
 11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
 13. समस्त संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 14. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 15. समस्त प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य प्रदेश।
 16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर प्रेषित कर लेख है, कि इस आदेश की प्रति आपके जिले में पदस्थ अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण करवाकर ही देय स्वत्वों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
 17. संबंधित अधिकारी म.प्र.।
 18. आदेश नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

१ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग